महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर संविधान सदन में आयोजित "अपने नेता को जानें" कार्यक्रम के दौरान माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

विशिष्ट अतिथिगण;

देवियो एवं सज्जनो; और

प्रिय युवा साथियो

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के इस ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही नेताओं ने निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करके आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संविधान सदन परिसर में अभी हम जिस केन्द्रीय कक्ष में एकत्र हुए हैं, वह हमारे संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है।

यह वही स्थान है जहां 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। यह वही कक्ष है जहां संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कई दिनों और कई घंटों तक विचार-विमर्श किया था। यह हमारे संविधान निर्माताओं, कई प्रख्यात नेताओं और राजनेताओं की 'कर्मभूमि' रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित कर दिया।

जैसाकि आप देख सकते हैं, केंद्रीय कक्ष हमारे उन गणमान्य राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों से सजाया गया है जिन्होंने हमारे देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय कक्ष के बीचोंबीच, मंच के ऊपर हमारे राष्ट्रपिता और विश्व के इतिहास में सबसे महान व्यक्तियों में शामिल महात्मा गांधी का चित्र है।

मेरी दाहिनी ओर आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र भी देख सकते हैं, जो सत्यनिष्ठा, देशभक्ति और सादगी के प्रतीक थे।

मेरा मानना है कि जब आप लोकतंत्र के इस मंदिर में आएंगे और केंद्रीय कक्ष की उन्हीं प्रतिष्ठित सीटों पर बैठेंगे, जहां हमारे महान संविधान-निर्माताओं और नेताओं ने बैठकर अंत्योदय और सर्वोदय पर विचार-विमर्श किया था, तो आप समाज और राष्ट्र के हित के लिए नि:स्वार्थ समर्पण और निष्ठा की उसी भावना को आत्मसात करेंगे।

यह हमारे देश के लिए सम्मान की बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहा जाता है और जिन्होंने विश्वभर के लोगों को प्रेरित किया, उनका जन्म भारत में हुआ था। चाहे न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हो, अहिंसा में निहित उनका दर्शन हो, या उनकी सादगी और सत्यनिष्ठा या सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में उनकी शिक्षाएं हों, उनका जीवन वास्तव में हर व्यक्ति के लिए एक संदेश था।

गांधीजी का अहिंसा, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के लोगों के प्रति नि:स्वार्थ समर्पण और सत्य की खोज का संदेश आज भी परिवर्तन के लिए किए जा रहे आंदोलनों का मार्गदर्शन करता है और दुनियाभर के नेताओं को प्रेरित करता है।

आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि गांधीजी ही स्वतंत्रता संग्राम की धुरी थे जिनके नेतृत्व में इस आंदोलन ने स्पष्ट रूप ग्रहण किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि सच्चा परिवर्तन केवल शांतिपूर्ण तरीकों और नैतिक शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके नेतृत्व की मुख्य विशेषता सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे तत्व थे जिन्होंने विश्व को अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का एहसास कराया।

उनके मार्गदर्शन में लाखों भारतीयों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, बहिष्कारों और हड़तालों में भाग लिया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी।

एक परम देशभक्त और आजीवन अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने हमारे देश और समाज के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। उनके विचार और सिद्धांत उथल-पुथल से भरे इस विश्व में भी हमेशा की तरह प्रासंगिक और अनुकरणीय बने हुए हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उनके व्यक्तित्व के इन गुणों से हमें उनकी असाधारण शक्ति और ज्ञान का अनुभव होता है।

पंडित नेहरू के निधन के बाद, जब हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा था तो ऐसे समय में शास्त्री जी ने एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश का नेतृत्व किया। अपने कार्यों के माध्यम से, उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि हमें हमेशा राष्ट्र के हित को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखना चाहिए।

अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक स्थापित किए और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे महान नेताओं के ये गुण आपको हमारे राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे।

हमारे शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम परिणति के रूप में 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और देश में लोकतांत्रिक स्वरूप की सरकार की बनी थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन के एक ऐसे रूप की परिकल्पना की थी जिसमें एक प्रातिनिधिक सरकार का गठन हो और जो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे।

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण, समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देती है। पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समावेशी विकास और वृद्धि के लिए यह बहुत आवश्यक है।

भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में प्रत्येक भारतीय विशेषकर युवाओं को भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए। हाल ही में हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन और मिशन के प्रतीक संसद के नए भवन में प्रवेश किया है। हमें भारत के 140 करोड़ लोगों के सपनों, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना

होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की नींव अर्थात् हमारे युवा इस चुनौती को स्वीकार करके वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

आपने अपने विचारों के माध्यम से हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके असीम योगदान के लिए उन्हें जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे मैं अभिभूत हूँ।

मुझे खुशी है कि चयनित प्रतिभागियों में से ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के हैं, साथ ही 78 प्रतिभागियों में से 43 लड़कियां चयनित हुई हैं।

इस वर्ष सात भाषाओं में प्रतिभागियों ने अपनी बात साझा की है, तथा एक प्रतिभागी ने संकेत भाषा का भी उपयोग किया है। हम दोनों महान राष्ट्रीय नेताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा भी ले सकते हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं, शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से पूरे देश से युवा प्रतिभागियों को एक साथ लाकर संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित करने वाले इस समारोह का आयोजन करने के लिए प्राइड द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं।

———